

## आयोजना-भिन्न पूंजी परिव्यय का विवरण

विवरण 8  
(करोड़ रुपए)

विवरण	वास्तविक 2009-2010	बजट 2010-2011	संशोधित 2010-2011	बजट 2011-2012
1. तट रक्षक संगठन के लिए जहाजों, पोतों, वायुयानों आदि का अधिग्रहण	908.05	1100.00	1200.19	1600.00
2. विदेशों में दूतावासों/मिशनो के लिए कार्यालय भवनों का अधिग्रहण/निर्माण	260.27	275.00	300.00	275.00
3. विदेशों में दूतावासों/मिशनो के लिए आवासीय भवनों का अधिग्रहण/निर्माण	83.19	100.00	100.00	75.00
4. रक्षा लेखा विभाग-अन्य भवनों के निर्माण के लिए पूंजी परिव्यय	33.17	25.55	22.46	28.00
5. असम राइफल्स पर पूंजी परिव्यय	102.47	111.00	91.00	92.00
6. परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	722.28	685.78	749.62	758.91
7. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	24.72	35.17	35.91	36.57
8. सीमा चौकियों पर पूंजी परिव्यय	128.20	125.00	135.00	...
9. सीमा सुरक्षा बल पर पूंजी परिव्यय	170.63	198.00	232.64	260.00
10. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर पूंजी परिव्यय	16.74	20.00	21.00	21.00
11. केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल पर पूंजी परिव्यय	265.81	184.76	281.23	202.39
12. तटीय सुरक्षा पर पूंजी परिव्यय	155.86	192.71	192.71	...
13. दिल्ली पुलिस पर पूंजी परिव्यय	97.40	139.00	70.00	60.00
14. आपदा प्रबंधन पर पूंजी परिव्यय	45.56	123.23	63.51	90.81
15. भारत-बांगलादेश सीमा निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	797.01	944.74	519.74	3.00
16. भारत-चीन सीमा निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	338.13	308.00	299.75	10.00
17. भारत-म्यांन्मार सीमा निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	14.04	35.00	26.08	18.00
18. भारत-पाकिस्तान सीमा निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	157.60	197.54	133.50	3.00
19. भारत-तिब्बत सीमा निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	89.99	90.00	84.00	102.00
20. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड पर पूंजी परिव्यय	19.52	40.40	19.05	24.40
21. के.लो.नि.वि. द्वारा रिहायशी भवनों का निर्माण	...	...	26.00	10.00
22. अनुसंधान (पुलिस) पर पूंजी परिव्यय	716.54	2400.00	1020.00	1885.00
23. सशस्त्र सीमा बल पर पूंजी परिव्यय	58.57	128.00	52.00	54.00
24. विशेष सुरक्षा समूह पर पूंजी परिव्यय	42.96	91.05	76.05	104.07
25. सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्यालय भवन निर्माण	236.14	258.90	327.08	284.80
26. पुलिस हेतु कार्यालय भवन निर्माण	974.28	840.16	1259.16	...
27. पुलिस हेतु आवासीय भवनों का निर्माण	250.76	239.08	262.73	...
28. सीपीडब्ल्यूडी द्वारा आवासीय भवनों का निर्माण	120.46	132.84	126.67	138.62
29. बीआरडीबी के जरिए निर्माण कार्य	487.06	2207.68	1830.28	1993.97
30. भारतीय निर्यात-आयात बैंक	300.00	300.00	300.00	...
31. एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री की स्थापना हेतु पूंजी के लिए सरकार का अंशदान	...	25.00	25.00	...
32. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनः पूंजीकरण हेतु सरकारी अंशदान	...	...	350.00	...
33. आसूचना ब्यूरो	54.19	47.60	63.50	37.50
34. भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम हेतु निवेश	...	...	...	400.00
35. इंडिया इन्फ्राचर फाइनेंस कम्पनी लि. में निवेश	500.00	500.00	500.00	...
36. अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	14.50	294.82	306.11	3424.34

## आयोजना-भिन्न पूंजी परिव्यय का विवरण

विवरण 8  
(करोड़ रुपए)

विवरण	वास्तविक 2009-2010	बजट 2010-2011	संशोधित 2010-2011	बजट 2011-2012
37. मिश्र धातु निगम लि. में निवेश	37.00	4.00	...	4.00
38. इन्जीनियर्स इंडिया लि. द्वारा बोनस शेयरों का निर्गम	...	...	101.53	...
39. इंडियन ऑइल निगम द्वारा बोनस शेयरों का निर्गम	958.08	...	...	...
40. तस्कर रोधी उपस्कर तथा समुद्री बेड़े की अधिप्राप्ति	78.79	121.20	79.00	83.55
41. सीबीईसी भवन निर्माण हेतु तैयारशुदा आवासीय भवनों की खरीद	6.05	132.00	51.00	40.00
42. सीबीडीटी के कार्यालय भवन हेतु तैयारशुदा आवासीय भवनों की खरीद	7.42	1663.00	1561.59	877.70
43. सीबीडीटी के आवासीय भवन हेतु तैयारशुदा आवासीय भवनों की खरीद	...	15.00	47.41	27.00
44. वाटर बोट/एअर क्राफ्ट (पुलिस) की खरीद	389.51	69.00	54.00	60.00
45. विश्व बैंक ऋण के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को पुनः पूंजीकरण	...	15000.00	12657.00	...
46. रक्षा लेखा विभाग स्टाफ के लिए आवासीय सुविधाएं	20.41	20.07	16.27	17.00
47. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजीकरण हेतु टीयर्स-I लिखत सम्बन्धी अंशदान	1200.00	1500.00	1500.00	...
48. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक सहायता प्राप्त सूक्ष्म वित्त परियोजना के तहत पहुंच में सुधार हेतु विश्व बैंक सहायता	...	...	420.12	14.00
49. अन्य मदें	69.07	130.46	106.09	96.27
<b>जोड़</b>	<b>10952.43</b>	<b>31050.74</b>	<b>27695.98</b>	<b>13211.90</b>

टिप्पणी : (i) प्रत्येक मामले में 20 करोड़ रुपए से अधिक की मदों को आंकड़ों के बेहतर अभिग्रहण के लिए दर्शाया गया है।

(ii) इसमें रक्षा सेवा और संघ राज्य क्षेत्र (विधान सभा रहित) सरकारों के पूंजीगत व्यय को शामिल नहीं किया गया है।